



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042022-235332
CG-DL-E-23042022-235332

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2022/वैशाख 2, 1944

No. 219]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2022/VAISAKHA 2, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2022

फा.सं. 18-24/आईएनसपी/2022-आईएनसी.—समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

चूंकि, ओडिशा राज्य सरकार द्वारा सरकारी आदेश (जी.ओ.एम.) संख्या 31649/एच दिनांक 15.12.2017 जारी कर बी.बी. छटोई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम व पोस्ट ढोडरा, पुलिस थाना उमरकोट, जिला नबरंगपुर-764073, ओडिशा में संचालित होने वाले बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। कॉलेज में बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश क्षमता 30 छात्रों के लिए थी।

और चूंकि, ओडिशा उपचर्या एवं दाई पंजीकरण परिषद् द्वारा बी.बी. छटोई कॉलेज ऑफ नर्सिंग को शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 से बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम का संचालन करने के लिए मान्यता प्रदान की गई थी।

और चूंकि, बी.बी. छटोई कॉलेज ऑफ नर्सिंग से शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। आगे, भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा कुछ कमियां इंगित की गई थीं। तथा बी.बी. छटोई कॉलेज ऑफ नर्सिंग उक्त कमियों को दूर करने में विफल रहा है और इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया भेजने में भी असफल रहा है।

और चूंकि, भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा दिनांक 01.09.2021 को बी.बी. छटोई कॉलेज ऑफ नर्सिंग को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे इस बावत जवाब देना था कि भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

और चूंकि, ओडिशा राज्य सरकार और ओडिशा उपचर्या एवं दाई पंजीकरण परिषद् से भी इस बावत टिप्पणियां मांगी गई थीं। और चूंकि ओडिशा राज्य सरकार और ओडिशा उपचर्या एवं दाई पंजीकरण परिषद् से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

इसलिए, **बी.बी. छटोई कॉलेज ऑफ नर्सिंग** द्वारा **बी.एससी. (नर्सिंग)** पाठ्यक्रम का संचालन करने की मान्यता **अधिनियम की धारा 14(3)–बी** के तहत **शैक्षणिक सत्र 2018–2019** से वापस ली जाती है।

यह घोषित किया जाता है कि दिनांक **04.04.2022** से, **बी.बी. छटोई कॉलेज ऑफ नर्सिंग** से कोई भी उपरोक्त मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ओडिशा राज्य सरकार के आदेश के अधीन केवल ओडिशा राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./39/2022-23]

**INDIAN NURSING COUNCIL
WITHDRAWAL ORDER**

New Delhi, the 22nd April, 2022

F.No. 18-24/INSP/2022-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, Government of Odisha vide Government Order (G.O.M) **no. 31649** dated **15/12/2017** had granted essentiality certificate for the **B.Sc.(N)** courses to be conducted in **B B Chhatoi College of Nursing, At/Po- Dhodra, Ps- Umarkote, District- Nabarangapur- 764073, Odisha**. The College has an intake capacity of 30 students for **B.Sc.(N)** course.

And whereas, Odisha Nurses Registration Council had granted recognition to **B B Chhatoi College of Nursing** for running **B.Sc(N)** course from the academic year **2018- 2019**.

And whereas, a proposal was received from the **B B Chhatoi College of Nursing** for assessment of suitability for the academic year **2018-19**. That, certain deficiencies were pointed out by the Indian Nursing Council. The **B B Chhatoi College of Nursing** failed to rectify the said deficiencies and also failed to send any response in that regard.

And whereas, a show cause notice dated **01.09.2021** was issued by the **Indian Nursing Council** requiring the **B B Chhatoi College of Nursing** to respond as to why no action should be initiated under Section 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947.

And whereas, comments were also sought from the State Government of Odisha and the Odisha Nurses and Midwives Registration Council. That no comments have been received from State Government of Odisha and the Odisha Nurses and Midwives Registration Council.

Hence, therefore, the recognition of **B B Chhatoi College of Nursing** for conducting **B.Sc. (N)** is hereby **withdrawn from the academic session 2018-2019** in terms of Section 14 (3)-b of the Act.

It is declared that from **04.04.2022**, any person obtaining any recognized qualification from **B B Chhatoi College of Nursing** shall be entitled to be registered only in the state of Odisha subject to orders of the State Government of the Odisha.

LT. COL (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.
[ADVT.-III/4/Ext./39/2022-23]